न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 17/2012 (आरसीएमएस संख्या : 2012/00003)
सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

छोटू पुत्र गोदू, जाति–हरिजन, निवासी–मानपुर गेट, तहसील–फागी, जयपुर। (मृतक)

1/1 शान्ती देवी पत्नी स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–ग्राम मानपुर गेट, तहसील–फागी, जयपुर।

1/2 रोशन पुत्र स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–ग्राम मानपुर गेट, तहसील–फागी, जयपुर।

1/3 भैरू पुत्र स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–ग्राम मानपुर गेट, तहसील–फागी, जयपुर।

1/4 चौथी देवी पत्नी श्री भोल्या हरिजन पुत्री स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–मु0पो0 अथुना, तहसील–निवाई, जिला–टोंक।

1/5 भंवरी देवी पत्नी श्री रमजू हरिजन पुत्री स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–ग्राम दोलतपुरा, तहसील–लालसोट, जिला–दौसा।

1/6 सुशीला देवी पत्नी श्री मुन्ना हरिजन पुत्री स्व0 श्री छोटू, जाति–हरिजन, निवासी–ग्राम मकरपुरा, तहसील–लालसोट, जिला–दौसा।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 23.09.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मानपुर गेट की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा मकबूजा ठिकाना बिला लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकीन नली दर्ज है, जिसमें से 2 बीघा 5 बिस्वा छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को दिनांक 16.05.1992 को आवंटन होने के फलस्वरुप नकल खतौनी जमावन्दी सम्वत् 2067–2070 में नामान्तरकरण संख्या 187 के जरिये गैर–खातेदारी दिये जाने का इन्द्राज दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नली आराजी को निजी गैर–खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा

Scanned by CamScanner

डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नली दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान पेशकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत 2011–2030 में ग्राम मानपुर गेट की आराजी खसरा नम्बर 117 रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकिन नली दर्ज है, जिसमें से 2 बीघा 5 बिस्वा छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को दिनांक 16.05.1992 को आवंटन होने के फलस्वरुप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में नामान्तरकरण संख्या 187 के जरिये गैर–खातेदारी दिये जाने का इन्द्राज दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नली, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 117 रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मानपुर गेट में से 2 बीघा 05 बिस्वा छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 16.05.1992 को नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नली दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नली का दिनांक 16.05.1992 को छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को आवंटन किया गया है जो कॉनूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात्

Scanned by CamScanner

आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमनें विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम मानपुर गेट की आराजी खसरा 117 रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा सिवायचक बिला लगानी गैर–मुमकीन नली दर्ज है। जिसमे से 02 बीघा 05 बिस्वा आराजी छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन की गैर–खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नली आराजी को निजी खातेदारी हेतु आवंटन किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेराकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक 16.05.1992 को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नली दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को दिनांक 16.05.1992 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0 187 ग्राम–मानपुर गेट से होती है। विवादग्रस्त आराजी का पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में आवंटन से दी गई गैर–खातेदारी का इन्द्राज दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिला लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नली की भूमि का आवंटन निजी खातेदारी हेतु किसी को नही किया जा सकता है किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नली भूमि का आवंटन किया गया हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नली भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत आवंटन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को आवंटन के फलस्वरूप गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 117 रकबा 43 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम मानपुर गेट में से 02 बीघा 05 बिस्वा का किया गया आवंटन दिनांक 16.05.1992 बहक छोटू पुत्र श्री गोदू, जाति–हरिजन को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक, गैर–मुमकीन नली दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 13.11.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.09.2019 को सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner